न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या– 03/विशेष न्यायाधीश, एन०डी०पी०एस० एक्ट, मेरठ

पीठासीन अधिकारी–रितिश सचदेवा, (एच०जे०एस०)

J.O. Code UP–1563

सत्र परीक्षण संख्या– 311ए/2011

CNR No.– UPME010091772026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०– 3256/2026

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 2633/2026

राहुल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जिला बागपत।

------प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **------अभियोजन पक्ष**

मु०अ०सं०– 700/2009
धारा– 452, 216, 34 आईपीसी
थाना– कंकरखेड़ा, मेरठ।

उपस्थितः–
प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री हरेन्द्र सिंह
राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक– श्रीमती प्रेरणा वर्मा

दिनाँकः– 29.06.2026

1. प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2633/2026 आवेदक/अभियुक्त राहुल पुत्र धर्मपाल के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं०– 700/2009, अन्तर्गत धारा– 452, 216, 34 आईपीसी, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 20.10.2009 को सुबह करीब 9 बजे उसका भाई विजेन्द्र सिंह अपने घेर में मौजूद था। जब गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो वे घर की तरफ भागे। उसने देखा कि उसका भाई विजेन्द्र घायल अवस्था में जमान पर पड़ा था। उन्हें देखकर तीन हमलावर मोटर साईकिल से भाग गये। हमलावरों को उसका भाई होश में आने पर पहचान सकता है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि वाद उपरोक्त मे अन्तर्गत धारा 307, 120बी, आई०पी०सी० मे पूर्व में ही जमानत स्वीकार हो चुकी है, परन्तु भूलवश जमानत प्रार्थना पत्र पर अ०धारा 452, 216 आई०पी०सी० लिखे जाने से छूट गयी है। मुख्य अपराध मे पूर्व मे ही जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।प्रार्थी मुख्य अपराध मे पूर्व मे ही न्यायालय मे अपने जमानती दाखिल कर चुका है। प्रार्थी को न्यायहित मे पूर्व मे न्यायालय में दाखिल जमानतियो पर रिहा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अं० धारा 452, 216 भा०दं०सं० स्वीकार करके उसे पूर्व में दाखिल जमानतियों पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर था, परन्तु न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिये गये थे। जिस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 307, 120 बी आईपीसी में दिनांक 23.12.2025 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा रिहाई परवाना जिला कारागार, बागपत भेजा गया, परन्तु उक्त जमानत प्रार्थना पत्र में भूलवश अंतर्गत धारा 452, 216 व 34 आईपीसी छूटने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त को रिहा नहीं किया गया। जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 452, 216 व 34 आईपीसी में योजित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त 28.08.2024 से जिला कारागार, बागपत में निरुद्ध है। प्रस्तुत वाद बहस/निर्णय के स्तर पर लंबित है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये न्यायालय की राय में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार प्रस्तुत तृतीय नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **राहुल पुत्र धर्मपाल** की ओर से मु०अ०सं०– 700/2009, अन्तर्गत धारा– 452, 216 व 34 आईपीसी, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2633/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में पूर्व में दाखिल **1,00,000/(एक लाख रुपये)** के निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

आदेश की एक प्रति email द्वारा संबंधित कारगार को भेजा जाये।

दिनांकः 29.06.2026

(रितिश सचदेवा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03/ विशेष न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट, मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.